छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा पंचम सत्र अंक-6

रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2015

(श्रावण 3, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

सर्वश्री उमेश पटेल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय-राजस्व मंत्री, बृहस्पत सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल,

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पार्लियामेंट्री प्रोसिजर पुस्तक के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती परंतु आज की कार्य सूची में समस्त कार्य दर्ज हैं।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव के पूर्ण् होने के बाद ही अन्य कार्य लिये जा सकते हैं।

माननीय सभापति ने उल्लेख किया कि वे इस पर पश्चात व्यवस्था देंगे।

2. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री दलेशवर साहू, पुन्नूलाल मोहले-खाद्य मंत्री,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री जनकराम वर्मा,

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये मैंने दिनांक 24 जुलाई को दोपहर 12.00 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक का समय निर्धारित किया था। अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों ही दलों की ओर से कुल 80 सदस्यों के नाम मुझे चर्चा में हिस्सा लेने हेतु प्राप्त हुये। तद्नुसार मैंने सदस्यों की संख्या देखते हुए भोजन अवकाश नहीं करते हुए और निरंतरता में समय में वृद्धि करते हुये कल रात्रि 10.00 बजे तक और आज भी माननीय सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष की सहमति से बैठक निर्धारित करते हुए प्रात: 11.00 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करायी लेकिन आज अभी तक केवल 7 सदस्य ही अपनी बात रख सके हैं।

चूंकि आज चर्चा पूर्ण किया जाना है और कार्यसूची के अन्य कार्य भी आज ही लिया जाना है अत: मैं दोनों ही दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे स्वमेव सदस्यों के नाम कम करें। इसके साथ ही मैं माननीय सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्यों के लिये अधिकतम 5 मिनट का समय निर्धारित करता हूं।

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि समय का ध्यान रखते हुए समय-सीमा अधिकतम 5 मिनट में ही अपनी बात कहें और आसंदी को कार्यवाही के संचालन में सहयोग करें।

4. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी-संसदीय सचिव,

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान श्री अमित अजित जोगी ने मेरा ध्यान कौल-शकधर पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर के पृष्ठ 384 के इस अंश की ओर दिलाया था कि जब किसी प्रस्ताव को पास करने के लिये सभा की अनुमति मिल जाती है, तो अविश्वास प्रस्ताव निपटाये जाने तक सभा के समक्ष नीति संबंधी मामलों का कोई मूल

प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इस आधार पर उन्होंने आज की कार्यसूची में अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात के मदों को सम्मिलित करने पर आपत्ति की है।

वस्तुत: उन्होंने जो उद्हरण दिया है, वह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जारी रहने के दौरान का है, न कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटाये जाने के पश्चात्। अत: मैं उनकी आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं।

6. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

श्री शंकर ध्रुवा, श्रीमती रमशीला साहू-महिला एवं बाल विकास मंत्री, डॉ. प्रीतम राम, श्रीमती चंपा देवी पावले, सर्वश्री मोहन मरकाम, श्याम बिहारी जायसवाल,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सियाराम कौशिक, लाभचंद बाफना, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भोलाराम साहू,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

7. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सदन को स्मरण होगा कि कल दिनांक 24 जुलाई, 2015 को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा, श्री देवजी भाई पटेल एवं श्री अजय चन्द्राकर द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर सदन में माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर आंसदी से निर्णय लेने का आग्रह करते हुए यह उल्लेख किया था कि कोई भी ऐसा विषय जो सदन में चर्चा के लिए लंबित है, उस विषय का प्रेस में पूर्व प्रकाशन नहीं होना चाहिए और इस प्रकार समाचार पत्रों में छपना, उसको छपवाना, यह विशेषाधिकार भंग की परिधि में आता है।

इस संबंध में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने तर्क भी रखे थे। माननीय सदस्यों के तर्कों को सुनने के पश्चात मैंने विशेषाधिकार भंग की सूचना पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी थी

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं, सदन में हुई चर्चा एवं पूर्व दृष्टांतों पर गंभीरता से मनन किया। विशेषाधिकार भंग की सूचना इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई थी, वह सदन के विचाराधीन है और सदन में विचाराधीन रहते हुए संपूर्ण आरोप पत्र छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रेस को सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव व कांग्रेस मीडिया को इस कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया है।

सूचना के साथ कम्पयूटर से निकला एक प्रिंट आऊट संलग्न किया है, जो एक फार्वर्डेड मैसेज है, जिसमें प्रेषित करने वाला 'कांग्रेस मीडिया' नाम मुद्रित है और समय दिनांक 23 जुलाई 2015 को दोपहर 3.41 अंकित है, इसका विषय ' कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 121 बिन्दुओं का आरोप पत्र सौंपा', 24 जुलाई को 12 बजे से होगी चर्चा- सीजीपीसीसी प्रेस विज्ञप्ति 23.7.2015

यह संदेश किसे प्रेषित किया गया है, सूचनादाता सदस्यों ने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है तथा नियमों के अंतर्गत इसे अभिप्रमाणित भी नहीं किया है।

सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया कांग्रेस द्वारा जारी आरोप पत्र के लिये माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव किस प्रकार से जिम्मेदार हैं, सभा में चर्चा के दौरान भी इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अपने कथन के समर्थन में आरोप पत्र के समाचार पत्र में प्रकाशन की पुष्टि के समर्थन में भी किसी प्रकार का कोई दस्तावेज सूचना के साथ संलग्न नहीं किया है और न ही चर्चा के दौरान मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से पूछने के बावजूद माननीय सदस्यों ने आरोप पत्र किस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का हिस्सा माना जा सकता है? किसी भी सदस्य ने समाधानकारक तर्क प्रस्तुत नहीं किये।

छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 236 (क) में यह उल्लेख है कि किसी सूचना का प्रयोग किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो या सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो। अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 22 जुलाई, 2015 को सभा में लिया जा कर सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है।

मेरा यह निश्चित मत है और पूर्व की व्यवस्थायें भी हैं कि अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्तुत आरोप पत्र अविश्वास प्रस्ताव की सूचना का भाग नहीं होता। आरोप पत्र सदन की चर्चा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से इस सचिवालय में शासन को उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाता है ताकि मंत्रिमंडल के विरूद्ध लगे आरोपों का जवाब सभा में समुचित रूप से आ जाये।

ऐसे भी पूर्वोदाहरण हैं, जब आरोप पत्र को सभा पटल पर प्रस्तुत ही नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि आरोप पत्र तकनीकी रूप से नियमों के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की सूचना की परिधि में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

एकाधिक अवसरों पर जब लोक सभा व अन्य विधान सभाओं में यह ठहराया गया है कि सूचनाओं को प्रचारित करना विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता अपितु ऐसे मामले औचित्य के प्रश्न हो सकते हैं।

उपरोक्त विवेचना के तारतम्य में मैं विशेषाधिकार भंग की सूचना नियमानुकूल नहीं होने व तथ्यों की उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार भंग का मामला गठित नहीं होता।

मैं सूचना को अग्राह्य करता हूं।

8. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमश:)

सर्वश्री केदार कश्यप-आदिम जाति विकास मंत्री, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), डॉ.खिलावन साहू, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, श्री संतराम नेताम,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री पारसनाथ राजवाड़े, गुरूमुख सिंह होरा, मोतीलाल देवांगन, रामदयाल उईके,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, गिरवर जंघेल, केशव चंद्रा, (डॉ.) विमल चोपड़ा, रामसेवक पैकरा-गृह मंत्री, मनोज सिंह मंडावी, श्रीमती सरोजनी बंजारे,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अमित अजीत जोगी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष द्वारा नान घोटाले से संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे जाने संबंधी दिये गये आवेदन के संबंध में-

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनों ही दस्तावेजों का परीक्षण किया और परीक्षण उपरांत मैं उन्हें सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति योग्य नहीं मानता। अत: पटल पर रखने का आवेदन अग्राह्य कर दिया है।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में 37 विपक्ष में 50 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने :-

1. जांच आयोग अधिनियम 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना चांदो, अंतर्गत ग्राम नवाडीह चेड़रानाला के पास, जिला बलरामपुर में हुए पुलिस मुठभेड़ में कुमारी मीना खलखो की मृत्यु का न्यायिक जांच प्रतिवेदन,
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद - 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक व आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन, वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या - 1, छत्तीसगढ़ शासन,
3. छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के तकनीकी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत महालेखाकार, छत्तीसगढ़ से प्राप्त, 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष हेतु नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन,
4. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2014-15 के बजट की तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, तथा
5. वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) **पटल पर रखे।**

10. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 17 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत शामिल किया गया है। सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. सर्वश्री संतोष बाफना, उमेश पटेल, अमरजीत भगत

3 श्री बृहस्पत सिंह

4. डॉ. प्रीतम राम, सर्वश्री अमरजीत भगत, पारसनाथ राजवाडे

5. डॉ. विमल चोपड़ा

6 सर्वश्री अमरजीत भगत, अमित जोगी

7 डॉ. खिलावन साहू

8 श्री दलेश्वर साहू

9 सर्वश्री बृहस्पत सिंह, लखेश्वर बघेल, मोहन मरकाम

10. श्री मोहन मरकाम

11. श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), डॉ. विमल चोपड़ा

12. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री रामदयाल उइके, अमरजीत भगत

13. श्री अरूण वोरा

14. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री अमित जोगी

15. श्री दीपक बैज

16. सर्वश्री मोहन मरकाम, दीपक बैज

17. सर्वश्री केशव चन्द्रा, जनकराम वर्मा

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर उन्होंने सदन में 08 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री केशव चंद्रा

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्री अरूण वोरा

(4) श्री लालजीत सिंह राठिया

(5) श्री शिवरतन शर्मा

(6) श्री बृहस्पत सिंह

(7) श्री रामदयाल उईके

(8) श्री गिरवर जंघेल

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार श्री केशव चंद्रा, सदस्य की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

13. मंत्री का वक्तव्य

1. श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 (क्रमांक-1235) के उत्तर के संबंध में, तथा
2. श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री दिनांक 19 मार्च, 2015 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-33 (क्रमांक-1668) के उत्तर के संबंध में **वक्तव्य दिया।**

14. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा, डॉ. विमल चोपड़ा द्वारा महासमुंद जिले के जिलाधीश, श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक कुमार झा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, श्री ओंकार यदु एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, श्री राजेश कुकरेजा के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 27.11.2014 को, विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. अशासकीय संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 की अपेक्षानुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिए नियत किये जाने का प्रावधान है। शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के कारण अशासकीय कार्य नहीं लिया गया।

मैंने सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियमावली के नियम 23 के द्वितीय परंतुक के अधीन शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 के लिए निर्धारित अशासकीय कार्य को शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2015 की बैठक के अंतिम ढाई घंटे नियत किये हैं।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल किया जाए।"

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, शिवरतन शर्मा, देवजी भाई पटेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए।"

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

श्री बृजमोहन अग्रवाल, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

3. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य (अनुपस्थित)

16. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों में रिक्त हुए क्रमश: दो, दो एवं दो स्थानों हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 की शेष अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया :-

लोक लेखा समिति

1. श्री नवीन मारकण्डेय
2. श्री रोशनलाल

प्राक्कलन समिति

1. डॉ. सनम जांगड़े
2. डॉ. खिलावन साहू

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री श्रीचंद सुन्दरानी
2. डॉ. खिलावन साहू

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान के लिए श्री राजशरण भगत, सदस्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन इस समिति का सभापति नियुक्त किया।

18. नियम-167 के अंतर्गत अग्राहय विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 (1) के परंतुक के अंतर्गत:-

1. माननीय सदस्य सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, अमित अजीत जोगी द्वारा जिलाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 6 जुलाई, 2015,
2. माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राय एवं 10 अन्य सदस्यों द्वारा श्री आरिफ हुसैन, पुलिस अधीक्षक, बालोद एवं श्रीमती गायत्री सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालोद के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2015,
3. माननीय सदस्य श्री देवजी भाई पटेल द्वारा माननीय सदस्य श्री मनोज सिंह मंडावी के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 20 जुलाई, 2015,
4. माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल एवं 22 अन्य सदस्यों द्वारा राजनैतिक संगठन से संबद्ध श्री संजू नारायण सिंह एवं अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 21 जुलाई, 2015, एवं

5. माननीय सदस्य सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, मोहन मरकाम एवं दीपक बैज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 25 जुलाई, 2015, को
विचारोपरांत मैंने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

19. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

आज चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का अंतिम दिन है। यह सत्र दिनांक 20 जुलाई से 31 जुलाई, 2015 तक आहूत था, किन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से आज अवकाश के दिन भी बैठक निर्धारित करके तथा देर रात 2.45 बजे तक बैठकर सभा के समक्ष लंबित समस्त कार्यों को निपटाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने जा रहा है।

इस सत्र हेतु निर्धारित कुल 10 बैठकों के स्थान पर 6 बैठकें सम्पन्न हो पायी, किन्तु दिनांक 24 जुलाई को बिना भोजन अवकाश के बैठक को निरंतरता में रात्रि 10.00 बजे तक जारी रखते हुए और आज दिनांक 25 जुलाई को प्रात: 11.00 बजे से रात्रि 2.00 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए केवल दो दिवसों में 18 घण्टे अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्पूर्ण 6 दिवस की कार्यावधि में सभा की कार्यवाही मत वैभिन्नता होने के बावजूद सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में समाप्त हो रही है।

वर्तमान सत्र में सदन ने इस सभा के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री बद्रीधर जी दीवान को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया। माननीय श्री दीवान जी एक अनुभवी संसदविज्ञ हैं। उन्होंने पूर्व में भी उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आसंदी की गरिमा को ऊंचाई प्रदान की है। मैं उन्हें अपनी ओर से, सभा की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका मार्गदर्शन सभा के संचालन में मेरे लिए भी सहायक होगा।

यद्यपि यह सत्र दिनांक 20 जुलाई से शुरू हुआ, किन्तु इस सभा में प्रथम बार निर्वाचित 53 सदस्यों के द्वारा समय-समय पर प्रबोधन कार्यक्रम की आवश्यकता प्रगट किये जाने पर 16 एवं 17 जुलाई को माननीय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके उद्घाटन सत्र में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने आशीर्वचन स्वरूप सदस्यों को मार्गदर्शन दिया तथा छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय राज्यपाल श्री बलराम जी दास टण्डन ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इस सभा में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए सदस्यों को अपने अनुभव से लाभांवित किया। मैं लोक सभा की

माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन एवं इस राज्य के माननीय राज्यपाल एवं इस विधान सभा के अविभाज्य अंग श्री बलराम जी दास टण्डन को सभा की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

प्रबोधन कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत, उत्तरप्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी, बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, हिमाचल प्रदेश की वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व मंत्री माननीया श्रीमती आशा कुमारी जी भी सदस्यों को मार्गदर्शन के लिए पधारीं। इसके साथ ही इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी एवं इस सदन के पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी ने भी व्याख्यान से सभी सदस्यों को लाभांवित किया। मैं इन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अतिथियों द्वारा व्यक्त विचारों से अपने आपको सहमत पाता हूं कि अध्ययन एक सतत् निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रति दिन हम अनुभव से अपने कार्य और व्यवहार में श्रेष्ठता अर्जित करते हैं।

इस सदन में प्रदेश की 2 करोड़ 55 लाख जनता की इच्छा एवं भावनाएं प्रतिबिम्बित होती हैं। कार्यवाही के संचालन में पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का ही महत्व है और पक्ष एवं प्रतिपक्ष के समन्वय से ही हम इस प्रदेश को तीव्र गति से विकास की राह पर ले जा सकते हैं।

इस अवसर पर मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष के मध्य सम्मान एवं विश्वास का भाव प्रजातंत्र की सफलता के लिए हमेशा बनाये रखना आवश्यक है, क्योंकि पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों ही इस राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

अब मैं सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस पावस सत्र के कुल 6 कार्य दिवसों में 47 घंटे 19 मिनट चर्चा हुई। 5 बैठकों में कुल 37 प्रश्न सभा में पूछे गए जिनके उत्तर शासन द्वारा दिए गए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 7 प्रश्नों का रहा। इस सत्र में 964 तारांकित प्रश्न एवं 732 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1696 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 440 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 45 सूचनाएं ग्राह्य हुईं। इस सत्र में एक ही विषय पर कुल 72 स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुई। शून्यकाल की 67 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 26 सूचनाएं ग्राह्य एवं 41 सूचनाएं अग्राह्य रही। वर्तमान सत्र में 308 याचिकाएं माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त हुई, जिनमें 30 ग्राह्य एवं 66 अग्राह्य रही तथा 212 विचाराधीन है।

इस सत्र में एक अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर सदन में 24 घण्टे 25 मिनट चर्चा हुई तथा अशासकीय संकल्प की 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें 4 ग्राह्य होकर 2 पर सदन में चर्चा हुई तथा सर्वानुमति से स्वीकृत हुये।

इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित कुल 6 विधेयकों की सूचनायें प्राप्त हुईं और सभी विधेयक चर्चा उपरांत पारित हुए। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 5 घंटे 24 मिनट चर्चा हुई।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों एवं छात्र/छात्राओं कुल 679 ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

मैं, पुन: चतुर्थ विधानसभा के पंचम सत्र के समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, सभी माननीय मंत्रिगण एवं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे अपना अधिकतम सकारात्मक सहयोग दिया।

मैं सभापति तालिका के सदस्यों एवं माननीय उपाध्यक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सभा के संचालन में मुझे निरंतर सहयोग प्रदान किया। मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में संपादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने गुरूत्तर दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

इस अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के प्रमुख सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित करने की परंपरा रही है, तद्नुसार आगामी शीतकालीन सत्र दिसम्बर माह के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह में संभावित है।

हम सब संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ।

धन्यवाद ! जय हिन्द ! जय छत्तीसगढ ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किए।

20. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सदन की ओर से बधाई दी।

21. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण्‌-मण की धुन बजाई गई)

रात्रि 2.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा